मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक/समिति/399/120 भोपाल, दिनांक 24/09/2012

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
सतपुडा भवन, म0प्र0 भोपाल

विषय:- राज्य, केन्द्र एवं राज्य शासनों के विभाग एवं उनके द्वारा संचालित उद्योग निगम संस्थान आदि को इमारती काष्ठ/बल्ली/ बांस प्रदाय हेतु वित्तीय अधिकार प्रदान करने बाबत् ।

---0---

वनोपज अंतर्विभागीय समिति की 399 वीं बैठक दिनांक 28-08-2012 में (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्पादन के विषय क्रमांक-07) में मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के आदेश क्रमांक/समिति/8/86/समिति/72 दिनांक 29-08-1986 को अधिक्रमित करते हुये वनाधिकारियों को मध्य प्रदेश शासन तथा मधप्रदेश शासन के निगम तथा मण्डलों द्वारा मांग किये जाने पर अवरोध मूल्य पर तथा केन्द्र शासन एवं अन्य राज्यों तथा उनके निगमों एवं मण्डलों द्वारा मांग किये जाने पर अवरोध मूल्य से 10 प्रतिशत अधिक दर पर उपलब्धता के आधार पर वनोपज प्रदाय कराये जाने हेतु प्रत्येक प्रकरण में अधिकतम निम्नानुसार वित्तीय अधिकार दिये जाते है ।

1.	वनमण्डल के भार साधक अधिकारी	5 लाख रूपये तक
2.	क्षेत्रीय वृत्त के भार साधक अधिकारी	25 लाख रूपये तक
3.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्पादन	संपूर्ण अधिकार

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(बी.बी. सिंह)
पदेन सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

पृ0क्र0/समिति/399/ भोपाल, दिनांक 24/09/2012

प्रतिलिपि:-

1/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।

2. महालेखाकार (क्रमांक एक) म0प्र0 ग्वालियर को (समिति की बैठक दिनांक 28-08-2012 में प्रस्तुत विषय पर संदर्भित टीप एवं कर्यवाही विवरण के उद्धरण की प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

पदेन सचिव
म0प्र0 शासन, वन विभाग